

उत्तर प्रदेश शासन  
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग  
संख्या: 503 / 91 / 2022-09-2014  
लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/ एक-14-2010-33(100)-2010 टी0सी0-III, दिनांक-15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-88 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	(1) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अधीन प्राधिकार (2) बैटरियों (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2001 के अधीन डीलर का रजिस्ट्रीकरण (3) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अधीन ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार और निपटान के लिए प्राधिकार	बोर्ड द्वारा पदाभिहित अधिकारी बोर्ड द्वारा पदाभिहित अधिकारी बोर्ड द्वारा पदाभिहित अधिकारी	90 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0) मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0) मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)	30 कार्य दिवस 10 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	सदस्य-सचिव सदस्य-सचिव सदस्य-सचिव	30 कार्य दिवस 10 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस

आज्ञा से,

Signed by (के0 रविन्द्र नायक) के0 रविन्द्र नायक

प्रमुख सचिव

Date: 15-09-2022 16:16:51

Reason: Approved

**UTTAR PRADESH SHASAN**  
**LOK SEWA PRABANDHAN ANUBHAG**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 503 / XCI-2022-09-2014 dated 16 September, 2022

**NOTIFICATION**

No. 503/91-22/ XCI-2022-09-2014  
Lucknow: Dated: 16 September, 2022

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P.Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)2010T.C.III, dated January 15, 2011 as amended from time to time:-

**AMENDMENT**

In the aforesaid notification, in the Schedule after entries at serial number 88, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, column-wise be inserted, namely:-

**SCHEDULE**

Sl. No.	Name of the Department	Services	Designated officer	Stipulated time limits for Services	First Appellate Officer	Stipulated time limits for disposal of First Appellate Officer	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appellate Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Environment, Forest and Climate Change Department (Uttar Pradesh Pollution Control Board)	(1) Authorization under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016	Designated Officer by Board	90 Working Days	Chief Environmental Officer (Admin)	30 Days	Member Secretary	30 Days
		(2) Registration of dealer under The Batteries (Management and Handling) Rules, 2001	Designated Officer by Board	30 Working Days	Chief Environmental Officer (Admin)	10 Days	Member Secretary	10 Days
		(3) Authorization for Processing/Recycling/Treatment and Disposal of Solid Waste under The Solid Waste Management Rules, 2016	Designated Officer by Board	60 Working Days	Chief Environmental Officer (Admin)	30 Days	Member Secretary	30 Days

By order,

Signed by के० रविन्द्र  
(K. Ravinder Naik)  
Pramukh Sachiv  
Date: 15-09-2022 16:14:36  
Reason: Approved